रजिस्ट्री सं. डी 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, शनिवार नवम्बर 1, 196 /कार्तिक 10, 1891
No. 373] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1969/Kartika 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November 1969

S.O. 4438.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Madhya Pradesh Commercial Exchange Ltd., Akola, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the Public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act recognition to the said Exchange for a further period of two years from the 2nd November, 1969 to the 1st November, 1971 (both days inclusive), in respect of forward contracts in ground-nut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(13)-IT/69.]

G. P. PANDEY, Jt. Secy.

श्री रेणिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, [illegible] 1969

का० आ० 4430—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, मैसर्स कर्माशियल एक्सचेंज लिमिटेड, अकोला द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के आवेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और जनता के हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को, 2 नवम्बर 1969 से लेकर 1 नवम्बर, 1971 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) दो वर्ष की कालावधि के लिए, मूंगफली के तेल विषयक अग्रिम संविदाओं की बाबत, मान्यता एतद्द्वारा अनुदत्त करती है ।

2. एतद्द्वारा अनुदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[सं० फाइल 12(13)—आइ टी/69.]

जी० पी० पांडे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969